

जयपुर विकास प्राधिकरण

की

3 आवासीय योजनाएँ

उदय विहार, सुर्य नगर ब्लॉक-ए

एवं अभिनव विहार विस्तार हेतु

आवेदन प्रक्रिया

एवं

नियम व शर्ते

आवेदन की तिथि : 20.03.2018

आवेदन की अन्तिम तिथि: 20.04.2018

लॉटरी की तिथि : 02.05.2018

- ❖ आवासीय योजनाओं के **1247** भूखण्डों हेतु आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
- ❖ भूखण्ड आवंटन हेतु परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.01.2018 के अनुसार रहेगी व सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार रहेंगे :-

योजना का नाम राजस्व ग्राम	जोन संख्या	आरक्षित दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर)	45 व. मी. तक के भूखण्डों की संख्या	46-90 व. मी. तक के भूखण्डों की संख्या	91-220 वर्ग मीटर के भूखण्डों की संख्या	220 व अधिक व. मी. तक के भूखण्डों की संख्या
(i) उदय विहार उदयपुरिया/चाकसु	14	5000	24	31	151	33
(ii) सुर्य नगर ब्लॉक-ए सूरजपुरा/टिटोली	14	4000	-	25	170	63
(iii) अभिनव विहार विस्तार तितरिया	14	6000	-	266	296	188
भूखण्डों का योग			24	322	617	284
(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये में)	LIG Group-A 1,50,000/- प्रति वर्ष तक	LIG Group-B 1,50,001/- से 2,00,000/- प्रति वर्ष तक	MIG Group-A 2,00,001/- से 4,00,000/- प्रति वर्ष तक	MIG Group-B 4,00,001/- से 6,00,000/- प्रति वर्ष तक	HIG Group-A 6,00,001/- से 8,00,000/- प्रति वर्ष तक	HIG Group-A 8,00,001/- से अधिक प्रति वर्ष
(ii) आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर का 60 प्रतिशत	आरक्षित दर का 90 प्रतिशत	आरक्षित दर पर	आरक्षित दर का 110 प्रतिशत	आरक्षित दर का 120 प्रतिशत
(iii) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/-	15,000/-	20,000/-	25,000/-	30,000/-	35,000/-

- ❖ योजनाओं में भूखण्डों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- ❖ योजना में आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क रु. 500/- निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ❖ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में वरियता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक (अधिकतम 03) योजनाओं के भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा। **एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।**
- ❖ योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। एक से अधिक योजना हेतु आवेदन करने पर निर्धारित पंजीयन राशि पृथक-पृथक से देय होगी।
- ❖ पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नगद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- ❖ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- ❖ सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाये तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- ❖ योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
- ❖ **आवेदन फार्म में आवेदक को आधार नम्बर या आधार न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।**
- ❖ आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है। आवेदन फार्म में अंकित मोबाइल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।
- ❖ आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई

जिम्मेदारी नहीं होगी।

- ❖ संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को ही मान्य किया जा सकेगा।
- ❖ असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेज के NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- ❖ आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए सकल मासिक आय के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
- ❖ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियास्क को निर्धारित पंजीकरण राशि (प्रक्रिया शुल्क रु. 500) जमा कराने पर ई-मित्र कियास्क को 48.00 (मान्य होने पर) अतिरिक्त देय होंगे।
- ❖ तकनीकी कारणों से Online आवेदन असफल होने की स्थिति में पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुये द्वितीय सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त सामान्य शर्तों के अतिरिक्त आवासीय योजना में लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के संबंध में शर्तें निम्न प्रकार से रहेगी:-

1. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राप्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
 2. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
 3. लॉटरी में सफल आवंटी आवंटित भूखण्ड के पेटे जविप्रा परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खाता संख्या 675401700500 एवं IFSC Code- ICIC0006754 में ऑनलाईन पेमेन्ट कर सकता है।
 4. नियमानुसार आवंटन से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वूसल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी।
 5. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
 6. आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
 7. “आवंटित भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुर्णगठन भवन विनियम के माप दण्ड के प्रावधानुसार मान्य होगा।
 8. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
 9. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
 10. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
 11. प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवटन की शर्तें बदलने का अधिकार रखता है।
- ❖ लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का शुद्धीकरण/संशोधन नहीं किया जावेगा।
 - ❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया, नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1. आवेदन करने की प्रक्रिया :

- 1.1 भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 1.2 आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code का स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- 1.3 आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

2. आवेदन की पात्रता :

- 2.1 राजस्थान का मूल निवासी हो।
- 2.2 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 2.3 **आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।**
- 2.4 आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code होना अनिवार्य है।
- 2.5 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू रहना चाहिए।
- 2.6 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 2.7 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।

3. आवेदक की सकल मासिक आय एवं वर्ग :

- 3.1 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2016–17 के आधार पर होनी चाहिए। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- 3.2 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर./फार्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

4. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

- 4.1 योजना के लिए उपलब्ध भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी *	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्थीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)	अनारक्षित श्रेणी
10%	6%	9%	3%	2%	10% शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ) सैनिक विकलांग (ब) अन्य सैनिक (स)	60%

* राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चनयित कर्मचारी, जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है, वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

- 4.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 4.3 राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 4.4 राजस्थान की अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्यों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4.5 विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 4.6 अधिस्थीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्थीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 4.7 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. इत्यादि अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।
- 4.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से मात्र एक आवेदक की आवेदन कर सकता है।
- 4.9 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 4.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 4.11 अन्य सैनिक(कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

4.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

4.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी में निम्नांकित सम्मिलित हैः—
(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी. एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

5. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

5.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी)
- सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।

5.2 जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

5.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में एक मुश्त जमा करानी होगी।

- 5.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- 5.5 आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

6. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :

- 6.1 प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड
- (i) लॉटरी तिथि से पूर्व एवं पश्चात् तथा आवंटन सह मांग—पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जावेगी।
- 6.2 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

- 7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित बचत खाता संख्या, अंकित IFSC Code में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी।
- 7.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण :

- 8.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 8.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 8.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 8.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 8.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
- 8.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 8.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9. अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः :

- 9.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- 9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

- 9.3 सामान्यतः आवंटी, आंवटित भूखण्ड का 5 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 5 वर्ष से पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।
- 9.4 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुये भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों प्रभावी होंगे।
- 9.5 प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- 9.6 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- 9.7 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 9.8 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 9.9 आवंटन के संबंध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, निर्देश लागू होंगे।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी, शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फी होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण—पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री जाति निवासी.....

..... तहसील.....जिला

राज्य की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु0.....
..... प्रतिवर्ष हैं एवं मेरा पैन नम्बर हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथ
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण—पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस कम्पनी/फर्म में
..... पद पर कार्यरत हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणिकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक :

स्थान :

आय प्रमाण—पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस विभाग में
पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की
नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 प्रतिवर्ष है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :

स्थान :

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

..... जिला सम्भाग

राज्य जाति के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण—पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि
..... (रैंक) (नाम)
..... (नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी वार्षिक आय रूपये प्रतिवर्ष थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु0 प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैंपुत्र/पति/पुत्री
आयु..... निवासी

- शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि
- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC)अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।)

कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,

सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... तहसील जिला
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति